गिरजि — सीताराम
दावा

		हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...र गंगापुर सिटी दि० 27-7-17 को		19-6-17 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प चूली पर पेश हुई। वादी गिरजि पप्पू उपस्थित है। अन्य पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए। अतः पत्रावली दि० 30-6-17 को कैम्प गंगापुर पर पेश हो। (हस्ताक्षर) उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	गिरजि नि० पप्पू
~~...वादी/~~ ~~...पक्ष~~ ...लीन ~~...अन्य~~ ~~...है।~~ ...7 रीडर		30-6-17 पत्रावली आज राजस्व कैम्प पर पेश हुई वादीगण उपस्थित हैं। तहसीलदार गंगापुर से रिपोर्ट प्राप्त की जाकर पत्रावली दि० 12-7-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
...री से रिपोर्ट ...पेश हो। (हस्ताक्षर)		12-7-17 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14-7-17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर	
		14-7-17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण व वादी गिरजि, पप्पू उपस्थित हैं। वकील वादीगण को सुना गया। मौका रिपोर्ट दि० 5-7-17 का अवलोकन किया गया। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) बाबू लाल जाट उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)	गिरजि नि० पप्पू
2548-5/3			

न्यायालय श्री बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
[illegible]/2014	20.5.2014	14.7.2017

1. गिर्राज पुत्र रामलाल, माली निवासी छावा की बगीची तह0 गंगापुर सिटी
2. रामरूप पुत्र रामलाल, माली निवासी छावा की बगीची तह0 गंगापुर सिटी
3. पप्पू पुत्र रामलाल, माली निवासी छावा की बगीची तह0 गंगापुर सिटी
4. लाली पुत्री रामलाल पत्नि रामकिशन जाति माली निवासी मोहनपुर बाढ तहसील बामनवास
5. गुड्डी पुत्री रामलाल पत्नि गोपाल जाति माली निवासी बामनबडौदा तहसील गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

सीताराम पुत्र रामस्वरूप जाति माली निवासी खानपुर बडौदा ढाणी बन्दरपुरा तहसील गंगापुर सिटी

——प्रतिवादी

दावा बेदखली

उपस्थित :—श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, वादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 34 रकबा 0.01 है0 गै0मु0चाह, ख0नं0 35 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 36 रकबा 0.10 है0 ग्राम छावा में स्थित है। उक्त भूमि में वादीगण ने कृषि उपयोग हेतु मकान बना रखा है तथा अपनी उक्त भूमि में सार्वजनिक उपयोग के लिए आम जनता के पानी पीने के लिए कुछ में सरकारी पानी की टंकी रखवा दी है तथा सरकारी टंकी के पास ही वादीगण ने अपने उठने बैठने जानवर इत्यादि बांधने के लिए एक छप्पर डाल रखा है जिसमें वादीगण उठते बैठते हैं तथा बरसात, सर्दी में अपने जानवर इत्यादि बांधते हैं। दि0 8.5.14 को वादीगण नं0 1 ता 3 वादी नं0 1 की ससुराल में शादी में मय परिवार चले गए, प्रतिवादी नं0 4, 5 अपनी ससुराल में थी। इसी का नाजायज फायदा उठाकर वादीगण के पीछे से प्रतिवादी ने अपनी चारपाई रख दी तथा अपनी भैंसो को बांध दिया तथा एक तख्ता रख दिया। वादीगण शादी में से दि0 12.5.14 को अपने घर आए तो देखा कि प्रतिवादी ने वादीगण के छप्पर में भैंस बांध रखी है तथा अपनी चारपाई व तख्त रख दिया है। वादीगण ने प्रतिवादी से भैंस, चारपाई, तख्त हटाने को कहा तो प्रतिवादी झगडा करने को उतारू हो गए तथा उपरोक्त सामान हटाने से इन्कार कर दिया। वादीगण की गैरमौजूदगी में प्रतिवादी को

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

वादीगण की खातेदारी में बने हुए छप्परपोश पर नाजायज कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर वादीगण की खातेदारी भूमि ख0नं0 35 व 34 में बने हुए छप्परपोश से प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को दिलवाया जावे तथा कब्जा नहीं देने की सूरत में पुलिस इमदाद से वादीगण को कब्जा दिलाया जावे ।

दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070 प्रदर्श–1, बयान वादी गिर्राज, बयान गवाह मुरारीलाल, बयान गवाह पूरनचंद कराए हैं।

प्रकरण में तहसीलदार गंगापुर सिटी से ख0नं0 34, 35 ग्राम छावा की मौका व रिकार्ड की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार के पत्रांक राजस्व/1755 दिनांक 10.7.17 के साथ मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो पत्रावली में संलग्न है।

बहस विद्वान वकील वादीगण सुनी गई।

वादीगण के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख नकल जमाबंदी सं0 2067 से 2070 प्रदर्श–1 के अनुसार भूमि ख0नं0 34, 35, 36 ग्राम छावा वादीगण की खातेदारी में दर्ज है। वादी गिर्राज, गवाह मुरारीलाल व गवाह पूरनचन्द के बयानों के अनुसार प्रतिवादी ने वादीगण की खातेदारी भूमि एवं उसमें बने छप्परपोश पर नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण की भूमि व छप्परपोश पर कब्जा कर लेने का तथ्य ही वादीगण ने अपने वादपत्र में वर्णित किया है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख एवं गवाहों के बयानों से वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी में होना व प्रतिवादी द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में बने छप्परपोश पर नाजायज रूप से कब्जा कर लेने के तथ्य की पुष्टि होती है फलस्वरूप वादीगण प्रतिवादी को उनकी खातेदारी भूमि से बेदखल कराने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 4.7.17 में वर्णित विवरण के अनुसार वादीगण की ग्राम छावा में स्थित खातेदारी भूमि ख0नं0 35 में छप्परपोश से प्रतिवादी

बाबू लाल जाट
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

को बेदखल कर भूमि का कब्जा वादीगण को संभलाने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है। तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवा कर लिखा जावे कि वह तुरन्त मौके पर जाकर पुलिस सहायता से उपरोक्त आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवावें । पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.7.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

[illegible] अदालत उप जिलाकलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
[illegible] बाबूलाल जाट, आर0ए0एस0

उनवान

1. [illegible] पुत्र रामलाल, माली निवासी छावा की बगीची तह0 गंगापुर सिटी
2. [illegible] पुत्र रामलाल, माली निवासी छावा की बगीची तह0 गंगापुर सिटी
3. [illegible] पुत्र रामलाल, माली निवासी छावा की बगीची तह0 गंगापुर सिटी
4. लाली पुत्री रामलाल पत्नि रामकिशन,माली नि0मोहनपुर बाढ तह0बामनवास
5. गुड्डी पुत्री रामलाल पत्नि गोपाल,माली नि0 बामनबडौदा तह0गंगापुरसिटी

——वादीगण

बनाम

सीताराम पुत्र रामस्वरूप जाति माली निवासी खानपुर बडौदा ढाणी बन्दरपुरा तहसील गंगापुर सिटी

——प्रतिवादी

दावा बेदखली

मुकदमा नं. – 55/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई ——— मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 4.7.17 में वर्णित विवरण के अनुसार वादीगण की ग्राम छावा में स्थित खातेदारी भूमि ख0नं0 35 में [illegible] से प्रतिवादी को बेदखल कर भूमि का कब्जा वादीगण को संभलाने हेतु तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश दिया जाता है। तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवा कर लिखा जावे कि वह तुरन्त मौके पर जाकर पुलिस सहायता से उपरोक्त आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवावें ।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 14.7.2017 को जारी किया गया ।

(बाबूलाल जाट)
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प बजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		